(d) whether Government propose to set up a buffer stock to ease the situation ; and

(e) if so, what steps have been taken in this direction ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. PRABHU) : (a) The percentage of fertilizer production in the private sector, out of the total production during the last three years, is given in the statement enclosed. (*see* below) No fertilizer manufacturing company has reported any cut-back in production due to the alleged excessive imports.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) and (e) No decision has been taken to set up a buffer stock of imported fertilizers.

Statement

Percentage of fertilizer production during the last three years

Sector	% share 1983-84	% share 1984-85	% share 1985-86
I. *NITROGEN (N)*			
Public Sector	47·6	47·1	47·4
Cooperative Sector	12·5	13·3	13·6
Private Sector	39·9	39·6	39·0
TOTAL :	100.0	100·0	100·0
II. *PHOSPHATE (P O)*			
Public Sector	27.3	27·3	21·3
Cooperative Sector	25·7	27·6	24·6
Private Sector	47·0	45·1	54·1
TOTAL :	100·0	100·0	100·0

अकाल और सूखे के कारण नुकसान

507. **श्री मीर्जा ईर्शादबेग :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में सूखे और अकाल के कारण राज्यवार कितनी-कितनी धन-राशि खर्च की गयी और उसमें से पेय जल उपलब्ध कराने के लिए खर्च की गई राशि का अनुपात क्या है ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें अत्याधिक वर्षा के कारण फसलों को नुकसान हुआ है और उसी अवधि के दौरान उससे कितना-कितना नुकसान हुआ है ;

(ग) गुजरात सहित उन राज्यों के नाम क्या है जिनमें कम वर्षा के कारण निकट भविष्य में सूखे की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना है और क्या संबंधित राज्य सरकारों ने इस संबंध में केन्द्र से कोई सहायता मांगी है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ; और

(घ) गुजरात सरकार द्वारा की गई मांगों का ब्यौरा क्या है और सरकार

इस मामले में क्या निर्णय लेने का विचार रखती है और कब तक ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) वर्ष 1983-84 से 1985-86 के दौरान सूखा राहत कार्यों के लिए स्वीकृत की गई उच्चतम व्यय सीमा का राज्यवार ब्यौरा तथा पेय जल संबंधी कार्यक्रम के लिए निर्धारित की गई धनराशि का ब्यौरा अनुबंध –1 पर दिया गया है । **[देखिए** परिशिष्ट CXL, अनुपत्र संख्या 19]

(ख) वर्ष 1983-84 से 1985-86 के दौरान भारी वर्षा/बाढ़ आदि के कारण प्रभावित हुए सस्गत क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । **(नीचे देखिए)** ।

(ग) आई०एम०डी० की रिपोर्टों के मुताबिक 1986 के दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान मौसम संबंधी निम्नलिखित उप-मंडलों (सब डिवीजन) में काफी कम वर्षा हुई :–

1. पश्चिमी राजस्थान (राजस्थान)
2. सौराष्ट्र, कच्छ एवं दीव (गुजरात)
3. बिहार के पठार (बिहार)
4. असम और मेघालय (असम, मेघालय)
5. गुजरात क्षेत्र (गुजरात)
6. कोंकण और गोआ (कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोआ)
7. मराठवाड़ा (महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश)
8. अरुणाचल प्रदेश (अरुणाचल प्रदेश)
9. बिहार के मैदानी इलाके (बिहार)

मणिपुर, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश तथा त्रिपुरा के राज्यों ने सूखा राहत उपायों के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की है । तमिल नाडु राज्य तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र ने भी 1985 के उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान कम वर्षा होने के कारण उत्पन्न सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मांगी गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(करोड़ रु०)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मांगी गई धनराशि
1. मणिपुर	1.98
2. असम	81.93
3. हरियाणा	141.62
4. उत्तर प्रदेश	472.82
5. आन्ध्र प्रदेश	326.37
6. त्रिपुरा	0.33
7. तमिलनाडु	310.02
8. पाण्डिचेरी	0.46

राहत संबंधी कार्यों के लिए अभी तक मणिपुर को 0.76 करोड़ रुपये, तमिलनाडु को 31.77 करोड़ रुपये, तथा पांडिचेरी को 0.06 करोड़ रुपये की उच्चतम व्यय सीमा मंजूर की गई है ?

(घ) इस अवधि के दौरान गुजरात राज्य से सूखा राहत उपायों के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है ।

विवरण

1983-1985 तक के वर्षों के दौरान अत्याधिक वर्षा, बाढ़ आदि के कारण प्रभावित सस्यगत क्षेत्र

(क्षेत्र : लाख हैक्टर)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1983-84	1984-85	1985-86
1.	आन्ध्र प्रदेश	25.33	3.99	0.01
2.	असम	1.38	4.91	0.82
3.	बिहार	3.71	12.22	4.16
4.	गुजरात	2.18	4.48	0.02
5.	हरियाणा	2.32	0.33	1.18
6.	हिमाचल प्रदेश	1.17	शून्य	3.92
7.	जम्मू एवं कश्मीर	0.02	सूचित नहीं	नगण्य
8.	कर्नाटक	0.50	0.014	नगण्य
9.	केरल	0.002	0.52	0.90
10.	मध्य प्रदेश	0.71	0.26	सू०न०
11.	महाराष्ट्र	9.05	0.10	0.01
12.	मणिपुर	नगण्य	0.01	0.009
13.	मेघालय	0.03	0.40	0.07
14.	उड़ीसा	0.88	4.19	6.34
15.	पंजाब	0.37	0.03	1.38
16.	राजस्थान	0.17	1.43	0.98
17.	सिक्किम	0.20	0.13	0.06
18.	तमिलनाडु	2.17	5.26	1.79
19.	त्रिपुरा	0.45	15.00	0.09
20.	उत्तर प्रदेश	24.99	10.41	24.19
21.	पश्चिम बंगाल	0.57	3.09	0.36
22.	अरुणाचल प्रदेश	नगण्य	शून्य	0.04
23.	दिल्ली	0.15	शून्य	शून्य
24.	गोआ दमन द्वीव	0.055	0.00015	शून्य
25.	पाण्डिचेरी	0.006	शून्य	0.11
26.	नागालैण्ड	शून्य	सू० न०	0.04
27.	अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह			0.003
	कुल :	76.41	66.77415	46.482

सू० न०-सूचित नहीं किया गया ।